

कार्यालय तहसालदार (भू.अ.) वरुशी जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./2025/24

दिनांक:-27/09/2025

प्रेषिति.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामेश्वर गण पिता माधु नि.

पालसा खेडा प.ह. पाल के राजस्व ग्राम पालसा खेडा में जमाबन्दी संवत् 2078-

2081 की खाता संख्या 233, 234, 235 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

ने सम्मानजनक जाति/नाम रामेश अर्क रामेश्वर किये जाने की रिपोर्ट की है।

सम्मानजनक जाति/नाम रामेश अर्क रामेश्वर को अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना

उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)
जिला-चित्तौडगढ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2025/823

दिनांक:-17/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का पाल

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री रामेश्वर गण पिता माधु

राजस्व ग्राम पालसा खेडा प.ह. पाल की खाता संख्या 233, 234, 235 में

जाति/नाम रामेश दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व

पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार वरुशी द्वारा भी जाति/नाम

सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री रामेश्वर गण पिता माधु नि.

जाति/नाम रामेश अर्क रामेश्वर एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज

करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. पाल राजस्व रिकार्ड में

उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार वरुशी पालना सुनिश्चित

1